(1)

केन्द्रीय सरकार

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना-2015-16

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तिः-01 से 10 वर्ग हेतु

शिक्षण संस्थानों की अहर्त्ताः-

सरकारी विद्यालय, प्राईवेट विद्यालय जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंगीभूत हों, प्राईवेट विद्यालय जो राज्य सरकार (शिक्षा विभाग) द्वारा प्रस्वीकृत हो, मदरसा बोर्ड द्वारा अंगीभूत मदरसा ।

छात्रों की अहर्त्ताः-

1. बिहार के निवासी छात्र/छात्राएँ सरकारी एवं मदरसा के केवल छात्रों के लिए ।
2. अंगीभूत/प्रस्वीकृत प्राईवेट विद्यालय के छात्र एवं छात्रा दोनों के लिए ।
3. विगत परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक अथवा समतुल्य ग्रेड ।
4. परिवार की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक नहीं हो ।

आवेदन का तरीकाः-

1. 1 से 8 वर्ग के छात्र हेतु ऑफलाईन आवेदन ।
2. आवेदन का फार्म जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाईट www.minoritywelfare.bih.nic से डाउनलोड किया जा सकता है । फोटो स्टेट प्रपत्र भी मान्य होगा।
3. 9 एवं 10 वर्ग के छात्र ऑनलाईन आवेदन करेंगे । जिसका वेबसाईट www.scholarships.gov.in है ।

आय प्रमाण पत्रः-

1. गैर नियोजित अभिभावक की स्थिति में अचंला अधिकारी या सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए ।
2. नियोजित अभिभावक की स्थिति में नियोजक द्वारा वार्षिक वेतन विवरणी भी मान्य है ।
3. आय की घोषणा से संबंधित शपथ पत्र मान्य नहीं है ।

अंक प्रतिशतः-

1. जिस संस्थान में अंक पत्र निर्गत होता है वहाँ के छात्र अंक पत्र की छायाप्रति संलग्न करेंगे ।
2. जिस संस्थान में ग्रेडिंग की जाती है परन्तु ग्रेड पत्र छात्रों को उपलब्ध नहीं करायी जाती वहाँ आवेदन फार्म में भरे हुए ग्रेड का संस्थान प्रधान द्वारा सत्यापन भी मान्य होगा ।

आवेदन फार्म का सत्यापनः-

पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन को हस्ताक्षरित कर अपने विद्यालय के प्रधान से आवेदन में निर्धारित स्थान पर सत्यापन कराना आवश्यक है । विद्यालय प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं रहने पर आवेदन रद्द हो सकते हैं ।

आवेदन फार्म को जमा करनाः-

1. वर्ग 1 से 8 तक के छात्र पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन को विद्यालय प्रधान से सत्यापन के बाद उसे जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में निर्धारित अवधि तक जमा करेंगे ।

2. वर्ग 9 एवं 10 के छात्र ऑनलाईन आवेदन कर उसका हार्डकॉपी डाउनलोड करेंगे तथा उसे हस्ताक्षरित कर अपने विद्यालय के प्रधान से सत्यापित कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करेंगे ।

बैंक खाता संख्या भरना:-

1. चूंकि छात्रवृत्ति राशि का अन्तरण क्व्ज द्वारा सीधे छात्र के खाता में अन्तरित होगा । अतः खाता नम्बर तथा बैंक का IFSC Code भरना अत्यन्त आवश्यक है ।
2. वर्ग 9 एवं 10 के छात्र का अपने नाम से खाता होना चाहिए, परन्तु वर्ग 1 से 8 तक के छात्र का खाता अपना नहीं रहने पर माता-पिता/अभिभावक का खाता संख्या भी दिया जा सकता है ।
3. खाता संख्या यथासम्भव आधार नम्बर से सम्बद्ध होना चाहिए ।

छात्रवृत्ति राशि का अन्तरण:-

मेंटिनेन्स की राशि तथा शिक्षण शुल्क एवं नामांकन शुल्क की देय राशि संयुक्त रुप से छात्रों के खाता में सीधे अन्तरित की जायेगी । शिक्षण शुल्क एवं नामांकन शुल्क की राशि अब शिक्षण संस्थान को नहीं भेजी जायेगी ।

आवेदन का लक्ष्य:-

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 2015-16 में नवीन आवेदन का लक्ष्य लगभग 2 लाख 14 हजार है, परन्तु नवीकरण आवेदन का लक्ष्य नहीं है । अतः जिन्हें विगत वर्ष में यह छात्रवृत्ति स्वीकृत है वह यथासम्भव नवीकरण का फार्म भरें ताकि अधिक विद्यार्थी लाभांवित हो सकें ।

छात्रवृत्ति की दर:-

1. छात्रवृत्ति एक वर्ष के लिए स्वीकृत की जायोगी ।
2. कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी को 1000/- रुपये वार्षिक देय है ।
3. कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी को नामांकन शुल्क 500/- रुपये या वास्तविक तथा शिक्षण शुल्क अधिकतम 350/- रुपये मासिक या वास्तविक एवं निर्वहन भत्ता होस्टलरों के लिए अधिकतम 6000/- रुपये वार्षिक या वास्तविक तथा डे-स्कालर के लिए 1000/- रुपये वार्षिक देय होगा ।

शिक्षण संस्थान का पंजीकरण:-

1. कक्षा 9 एवं 10 के छात्र ऑनलाईन आवेदन करेंगे, जिसके लिए संबंधित शिक्षण संस्थान का विभाग में पंजीकरण करना अनिवार्य है ।
2. यदि किसी शिक्षण संस्थान का पंजीकरण नहीं हुआ है तो ऐसे संस्थान अपना E-Mail Address एवं मोबाईल नम्बर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अब्दुल क्यूम अंसारी मेमेरियल भवन, 34 अली इमामपथ, हार्डिंग रोड, पटना-800001 के पते पर या E-Mail:- min-welfare-bih@nic.in या संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को सूचना उपलब्ध कराया जा सकता है ताकि यूज़र आई०डी० एवं पासवर्ड सृजित कर संस्थान को सूचित किया जा सके ।